defaults which are not covered by the stay order. Further action will be taken after the expiry of the notice period.

20-सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन

1064. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
डा. बापू कालदाते :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों की जिलों में 20 सूत्री कार्यक्रम का मूल्यांकन करने तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत धन का सदुपयोग करने के लिये सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाये गये हैं ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या निवारक उपाय किये गये हैं कि ग्रामीण लोगों को बैंक का ऋण सुविधाजनक ढंग से प्राप्त हो और उनके ऋणों को बैंक कर्मचारियों तथा अन्य बिचौलियों द्वारा हड़पे जाने से रोका जा सके;

(ग) इस कार्य में जनता की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है या क्या सरकार इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ने का विचार रखती है; और

(घ) बिहार में 20-सूत्री कार्य-क्रम के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से प्रत्येक जिले के लिए बनाई गई जिला ऋण आयोजनाओं/वार्षिक कार्यवाई आयोजनाओं के अंतर्गत नए 20-सूत्री कार्य-क्रम के अधीन तैयार की गई सभी बैंक योग्य/अर्थक्षम योजनाओं को समन्वित करने के लिए कहा है । अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत स्थापित जिला परामर्शदात्री समितियों द्वारा, जिनकी समय-समय पर बैठकें होती हैं, जिला ऋण आयोजनाओं/वार्षिक कार्यवाई आयोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे ऋणकर्ताओं को सरल प्रादेशिक भाषा में ऋण आवेदन फार्म उपलब्ध कराएंगे, जिनमें मार्जिन और जमानत के मापदण्ड आदि सहित शर्तों का ब्यौरा दिया गया होगा । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले अग्रिमों के बारे में बिचौलियों और मध्यवर्ती व्यक्तियों से बड़ी सावधानी से बचा जाना चाहिये । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अग्रिमों के सम्बन्ध में, बैंकों से यह कहा गया है कि वे किसी विशेष ब्रांड अथवा किसी विशेष डीलर से परिसम्पत्तियां खरीदे जाने पर जोर न दें । अप्रैल, 1986 से आजमाईश की तौर पर देश के चुने हुए कुछ खण्डों में शुरू की गई प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ गतिविधियों के बारे में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को आर्थिक सहायता और ऋण की रकमों का सीधे ही नगद भुगतान किया जाएगा । वित्तीय सहायता देने वाले बैंकों में बार-बार जाने की असुविधा से बचने के लिए और कदाचारों को कम करने तथा बैंकों के उच्च-स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण को आसान बनाने के लिए बैंकों से यह कहा गया है कि ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं को चाहिए कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋणकर्त्ताओं को प्रत्येक महीने में दो निर्धारित दिनों पर भुगतान करें ।

(घ) नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बिहार में 7.12 लाख ऋणखातों के अंतर्गत दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि जून 1984 के अंत में 365.61 करोड़ रुपए (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) थी ।

क और ख क्षेत्रों में स्थित राज्यों के साथ राजभाषा में पत्राचार

1065. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
डा. बापू कालदाते :
श्री सुखदेव प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय "क" क्षेत्र में स्थित राज्यों के साथ कब तक समय पत्राचार राजभाषा में करने का विचार रखता है और इस समय इसकी प्रतिशतता क्या है; और